संख्या-235 /18-4-2022-35(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0
लखनऊ
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4

लखनऊ:दिनांक 13 मई, 2022

विषयः- वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना।

महोदय,

वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातक इकाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति- 2020-25 में निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाली निर्यातक इकाइयों के साथ-साथ ऐसी निर्यातक इकाइयों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिनके द्वारा प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से पैरिशेबल गुड्स, कृषि, औद्यानिक तथा औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। अतः इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या- 1000/18-4-2020-58(विविध)/ 14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित निर्यात नीति के अनुक्रम में ''वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना'' के अन्तर्गत दावों को दाखिल किये जाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से किये जाने वाले

निर्यात पर भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदेश के ऐसे समस्त निर्यातकों को प्रदान की जायेगी, जिनके द्वारा प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है।

2. उत्तर प्रदेश से शीघ्र नाशवान वस्तुओं (पैरिशेबल गुड्स), कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों का वायुमार्ग से किये गये निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैण्डलिंग से सम्बन्धित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि की 25 प्रतिशत अथवा रू0 100/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख मात्र) तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाइयों को योजना के पोर्टल पर दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती हैः-

(3.1) निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायु मार्ग से विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त , भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा तथा आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों/अपूर्णताओं का निराकरण/संशोधन किया जा सकेगा।

(3.2) निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर फाइल किये गये दावे सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग , जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा पोर्टल पर उनके स्तर पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों के अन्दर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे। ऐसे दावे जो योजनान्तर्गत निर्धारित अभिलेखों के अभाव में अपूर्ण पाये जायेंगे, को अपूर्णता का पूरा विवरण ऑनलाइन अंकित करते हुए, सम्बन्धित निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिया जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा रिवर्ट किये गये दावों को सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर पुनः ऑनलाइन फाइल किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा ऐसे दावे भी पुनः परीक्षण कर अधिकतम 21 दिवसों में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किये जायेंगे।

(3.3) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3.4) निर्यातक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन फाइल किये गये ऐसे दावों, जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निरस्त किये जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

4. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निहित होंगे। स्वीकृत दावों का भुगतान प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के बजट से किया जायेगा।

5. यह सुविधा उत्तर प्रदेश की ऐसी निर्माता/वाणिज्यिक (Manufacturing/Merchant) निर्यातक इकाइयों को उपलब्ध होगी, जो आवेदन करने के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी।

6. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने के प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने एवं उसमें संशोधन किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निहित होंगे तथा दावों के परीक्षण हेतु अपलोड किये जाने वाले यथोचित अभिलेखों का निर्धारण एवं उनमें संशोधन निर्यात आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा।

7. योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली ट्रान्सफर की जायेगी।

8. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-235(1) /18-4-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया।
7. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।

8. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ
9. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश
10. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
11. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव